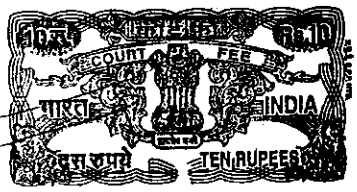

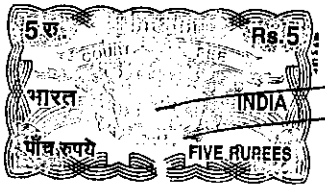

195

न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.   /2013/निगरानी

परमाल सिंह पुत्र कमल सिंह जाति रघुवंशी आयु 60 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम सोनेरा जिला अशोकनगर

R- 2616-III/13

.... आवेदक

विरूद्ध

1. महेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह
3. गजरीबाई वेवा अमोल सिंह
4. गीताबाई पुत्री अमोल सिंह
5. रामकली बाई पुत्री अमोल सिंह
6. गुड्डीबाई पुत्री अमोल सिंह
7. उर्मिलाबाई पुत्री अमोल सिंह
8. गेंदाबाई वेवा सरदार सिंह
9. महेश सिंह पुत्र सरदार सिंह रघुवंशी
10. कृष्णपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह रघुवंशी
11. कलाबाई पत्नी राजेन्द्र सिंह
12. बब्लू पुत्र राजेन्द्र सिंह
13. रविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
14. सुनील पुत्र महेन्द्र सिंह
15. दौलत सिंह पुत्र कमल सिंह रघुवंशी
16. महरबान सिंह पुत्र कमल सिंह रघुवंशी
17. रामरती बाई पुत्री कमल सिंह रघुवंशी

समस्त निवासीगण ग्राम सोनेरा जिला अशोकनगर

Srivastava 6/7/2013

6-7-13

.... अनावेदकगण

"निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 30.513 जिसे अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर ने अपने यहां के प्रकरण क्रमांक 49 निगरानी/2010–11 में पारित किया।"

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2616–तीन/2013 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 से 5 तक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्र0 6 से 17 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–05–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 5/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक व अनावेदकगण के मध्य वर्ष 2008–09 विवादित भूमि का सहमति से बटवारा हो गया था तथा दोनों पक्षों द्वारा सहमति से बटवारे पर हस्ताक्षर करके बटवारा न्यायालय में प्रस्तुत किया था,	

जिसके अनुसार बटवारा स्वीकार किया गया। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 2008 के बटवारा आदेश की जानकारी दिनांक 27.07.2009 को होना बताया गया एवं नकल 21.10.2009 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने उपरांत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि नकल दिनांक 21.10.09 को 53 दिन बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण अनावेदकगण ने नहीं बताया है। जबकि प्रतिदिन विलंब का कारण स्पष्ट बताना चाहिये । इस संबंध में 1989 राजस्व निर्णय 243 अवलोकनार्थ है कि–"परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 विलंब के लिये माफी देना–प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया पर्याप्त कारण साबित नहीं गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना माफी नहीं दी जा सकती।" इसी कारणवश आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा का आवेदन स्वीकार किये जाने को त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध मानते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में न्याय हेतु गुण–दोषों के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक मानकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत है। जिसकी पुष्टी अपर कलेक्टर अशोकनगर ने अपने विस्तृत आदेश में की है। अतः मैं अपर कलेक्टर अशोकनगर के इस निर्णय से सहमत हूँ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2012 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य